

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक 197

दिनांक 18.02.2020

## सीमित निविदा सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर उद्यान व पेड-पौधो के रख-रखाव के संबंध में अनुभवी फर्मों से निर्धारित प्रपत्र पर सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

निविदा सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु.लाखों में)	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि	बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि व समय
	1. आयोग कार्यालय के सम्पूर्ण परिसर में उद्यान व पेड-पौधो के रख - रखाव के संबंध में ।	1.90	9500 / -	दिनांक 25.02.2020 दोपहर 1.00 बजे	दिनांक 25.02.2020 सांय 3.00 बजे

बिड प्रपत्र एवं शर्तें [www.rpsc.rajasthan.gov.in](http://www.rpsc.rajasthan.gov.in) एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

उप सचिव

क्रमांक : एफ21 (102)रालोसेआ/सम.एवं.व्यय/2018.2019/197

दिनांक : 18.02.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. प्रभारी अधिकारी आई. टी. सेल को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करावें
3. नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

उप सचिव

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## वित्तीयबोली

1. बोलीदाता का नाम .....

मोबाईल नम्बर .....

पता :- .....

नोट :- बोलीदाता वित्तीय पृथक लिफाफे में सीलबंद कर एवं उक्त लिफाफे पर 'वित्तीय बोली' अंकित करें।

क्र. स.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री की राशि एवं उपकरण किराया (प्रतिमाह) (रूपयें)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह) (रूपयें)	कुल राशि रूपयें	
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दरप्रतिमाह प्रति ईकाई राशि	श्रमिकों की संख्या	प्रतिमाह प्रति कुल राशि						
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	कार्य आधारित उद्यान कार्य	अकुशल	5538 / -	02	5538 / -	प्रचलित दरानुसार	प्रचलित दरानुसार				

- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 01 से 07 तक की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है, तथा केवल स्तम्भ संख्या 8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा राशि अंकित की जायेगी। L-1का निर्धारण कॉलम संख्या -10 के आधार पर किया जायेगा।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- क्र.स. 4 में अंकित किये गये श्रमिकों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/ वृद्धि की जा सकती है।
- संवेदक की सर्विस चार्ज राशि शून्य या ऋणात्मक स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय पूरा पता

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## वाणिज्यिकबोली प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम .....
2. डाक का पता :- .....
3. फोन/मोबाईल नं. :- .....
4. ई-मेल :- .....
5. बैंक का नाम :- .....
- IFSC CODE :- .....
- खाता संख्या :- .....
6. बोलीदाता/ संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
2	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
3	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
4	आयकर (पैन नम्बर)				
5	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संसथान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत् 03 वित्तीय वर्ष (2017-18, 2018-19 व 2019-20) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में न्यूनतम उद्यान कार्य एवं सामग्री उपकरण एक ही समयावधि में कम से कम वर्ष एक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणनुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा :-

1	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	उपलब्ध कराये गये पर उद्यान मय सामग्री उपकरण का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये उद्यान मय सामग्री उपकरण की सामग्री	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र का अंकन
1				
2				
3				

8. मैं/हम सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना क्रमांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आमन्त्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. वित्त (GST) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना की जावेगी।
10. न्याय क्षेत्र, अजमेर होगा ।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**  
**मय पूरा पता**

## बिड़ आमन्त्रण

### नियम एवं शर्तें तथा अन्य विवरण

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 जिसे आगे अधिनियम व नियम कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र गाईड लाईन, आदेश, निर्देश, आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को अधिनियम एवं 'नियम' की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपयुक्त अधिनियम एवं 'नियम' में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त 'अधिनियम' एवं 'नियम' की प्रावधान ही अधिभावी होंगे।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
3. राजस्थान अनुबधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
4. सफल बोलीदाता/संवेदक को अनुबधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं नियम 1971 के विहित प्रावधानानुसार नियम अवधि में लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक की बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धिक संवेदक का होगा।
8. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार लागू होने पर अपने समस्त श्रमिकों की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पृष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
9. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर **Display Board** लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु **Helpline** नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
11. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर कार्य पर लागू होने पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों अधिक सूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धिक श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर ओद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** कराने की कार्यवाही करेगी।
17. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि कि रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
18. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। लिफाफे पर \* **उद्यान व पेड़-पौधों के रख – रखाव के संबंध में** आदि कार्य के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा।

19. आयोग कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के 05 दिवस के अंतर्गत कार्य शुरू करना होगा। निर्धारित अवधि में उद्घान कार्य नहीं की जाने की स्थिति में शास्ती नीचे लिखी सारणी के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से लगेगी। यह राशि कार्य संपादन प्रतिभूति राशि/भुगतान की जाने वाली राशि में से काट ली जावेगी। उद्घान सम्बन्धि समस्त सामग्री स्वयं निविदादाता की होगी। बिल का सत्यापन समन्वय एवं व्यवस्था प्रभारी के द्वारा करवाया जाकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

क्र.सं.	विलम्ब अवधि/शिकायत/कार्य में कमी	शास्ती की दर
1	कार्यदेश जारी होने के 5 दिवस के पश्चात् कार्य प्रारंभ करने पर शास्ति प्रति दिवस/प्रतिशिकायत/कार्य में कमी की शिकायत	रूपये – 500 /– प्रतिदिन

20. कार्यादेश से दस दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर आयोग सचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता/बाजार से उद्घान कार्य करवाई जा सकेगी जिस पर हुए अतिरिक्त/संपूर्ण व्यय की राशि सफल निविदादाता से वसूल कर ली जायेगी।
21. उद्घान कार्य करने का कार्य ठेकेदार स्वयं के मजदूरों से करायेगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। साथ ही निम्नांकित उपकरण भी साथ लायेगा:— यथा—घास कटिंग मशीन, कैंची, कटर, फावड़ा, तगारी, गेंती, खुरपी, कुदाली, कुल्हाड़ी, पंजा, कचरा ट्रौली, हसियां आदि
22. दरें समस्त करों एवं चार्जज सहित प्रस्तुत करनी होगी। करों, **Empolyees PF, ESI** (नियोक्ता एवं कर्मचारी अशंदान) etc. and it also includes any other legal liabilities संबंधित विभागों में जमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
23. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली **सीमित** निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
24. किसी भी समिति निविदा अथवा समस्त समिति निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को होगा।
25. बिड प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं द्वितीय अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को की जा सकेगी।
26. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र अजमेर ही होगा।
27. इस निविदा एवं अनुबन्ध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
28. हम/मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है।
29. हम/मैं उक्त शर्तों से सहमत हूँ/हैं एवं इनका पालन करने का वचन देता हूँ / देते हैं जिसके प्रमाण में निविदा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
30. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 5 दिवस में बिड कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। कार्य के सन्तोषप्रद सम्पादन के पश्चात् आयोग द्वारा निविदादाता को लौटाई जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

31. जी.एस.टी. जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा। जी.एस.टी जमा कराने का निविदादाता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि जी.एस.टी निविदादाता द्वारा बिल का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् जमा करा दिया जायेगा। तथा जी.एस.टी जमा का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
32. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर सविदाएँ उसी कीमत निबधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालवधि के लिए बढाई जा सकेगी ।
33. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली खुलने की तिथि से 90 दिन क अवधि के लिए विधि मान्य है।
34. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
35. मूल्यांकन की कसौटी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की मशीन/उपकरण एवं सफाई सामग्री तथा सर्विस चार्ज राशि के योग के न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाइड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय सील